भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 4169

20 दिसंबर, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

राष्ट्रीय मुख स्वास्थ्य कार्यक्रम

4169. डॉ. प्रभा मल्लिकार्जुन:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत राष्ट्रीय मुख स्वास्थ्य कार्यक्रम (एनओएचपी) शुरू किया है और यदि हां, तो कार्यक्रम के लक्ष्यों और उद्देश्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार का एनओएचपी को किस प्रकार कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है तथा कर्नाटक राज्य की आवश्यकताओं के अनुसार राज्य कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) के माध्यम से दी जाने वाली वित्तीय सहायता/बजट आवंटन का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का एनओएचपी के बजट में वृद्धि करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो कर्नाटक सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ग): राष्ट्रीय मुख स्वास्थ्य कार्यक्रम (एनओएचपी) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत वर्ष 2014-15 में शुरू की गई 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि की एक पहल है, जिसका उद्देश्य सुलभ, किफायती और गुणवत्तापूर्ण मुख स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान करने के लिए देश की जन स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करना है।

लक्ष्य: सुलभ, किफायती, स्वीकार्य, उचित और व्यापक मुख स्वास्थ्य परिचर्या के प्रावधान के माध्यम से मुख रोग के भार (मामले, व्यापकता और प्रभाव) को कम करके सभी आयु समूहों में आबादी की मुख स्वास्थ्य स्थिति में सुधार करना।

उद्देश्य:

1. प्रोत्साहक, निवारक, उपचारात्मक और पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने के लिए सभी स्तरों पर मुख स्वास्थ्य सेवा वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करना।

2. जोखिम कारकों को नियंत्रित करने और कम करने तथा मुख रोगों की रोकथाम के लिए मुख स्वास्थ्य नीति के साक्ष्य सृजित करने, नवाचार और कार्यान्वयन के लिए सहायता प्रदान करना।

3. कुशल मुख स्वास्थ्य परिचर्या पेशेवरों की उपलब्धता और आवश्यक मुख स्वास्थ्य सेवाओं के प्रावधान के लिए सेवा प्रदाताओं और जन स्वास्थ्य सुविधाओं की क्षमता का निर्माण करना।

4. राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति और राष्ट्रीय मुख स्वास्थ्य नीति के तहत अभिसरण के अनुरूप एनएचएम के तहत प्रासंगिक राष्ट्रीय कार्यक्रमों के साथ मुख स्वास्थ्य का एकीकरण सुनिश्चित करना।

5. देश में मुख स्वास्थ्य कार्यक्रम को सुदृढ़ करने के लिए अनुसंधान नवाचार और साक्ष्य सृजन करने के लिए राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और राज्य स्तरों पर उत्कृष्टता केंद्रों की पहचान करना।

6. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सेवा प्रदाताओं की क्षमता निर्माण सहित विभिन्न क्रियाकलापों में उत्कृष्टता केंद्रों की सहायता करना।

7. एनओएचपी के तहत परिकल्पित कार्यान्वयन और परिणाम में सुधार के लिए मुख स्वास्थ्य कार्यक्रम की नियमित निगरानी और आवधिक मूल्यांकन सुनिश्चित करना।

इस कार्यक्रम के दो घटक इस प्रकार हैं:

एनएचएम घटक: जिला अस्पतालों या उससे नीचे के स्तर के अस्पतालों में दंत चिकित्सा परिचर्या इकाइयाँ स्थापित करने के लिए राज्यों को सहायता प्रदान की जाती है। एनएचएम घटक के तहत, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 773 जिलों में कुल 9587 दंत चिकित्सा परिचर्या इकाइयों को आंशिक या पूर्ण रूप से एनओएचपी द्वारा सहायता प्रदान की गई है।

विशिष्ट घटक: यह घटक केंद्रीय स्तर की क्रियाकलापों के लिए है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), नई दिल्ली में दंत चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान केंद्र को वर्ष 2014-15 में एनओएचपी के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र के रूप में चिन्हित किया गया था।

विगत 5 वर्षों के दौरान पीआईपी (मानव संसाधन को छोड़कर) के माध्यम से कर्नाटक को किया गया बजट आवंटन:

वित्त वर्ष	आवंटित बजट (₹ लाख रु. में)
2020-21	264.6
2021-22	139.6
2022-23	379
2023-24	286.1
2024-25	299.7

बजट आवंटन राज्य पीआईपी बैठकों के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की मांग के अनुसार है। वर्ष 2025-26 के दौरान कर्नाटक के लिए कुल ₹ 309.34 लाख की निधि की सिफारिश की गई है।

******